न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	छोटी देवी बनाम तहसीलदार मु.नं. 35/23 (विविध)	

के निवेदन एवं प्रा.पत्र 06R17 CPC का अवलोकन एवं मनन किया। अतः अप्रार्थीगण सं. 02 लगायत 10 के स्थान पर पक्षकार अप्रार्थीगण सं. 02 लगायत 11 को पक्षकार बनाया जाता है। अप्रार्थी सं. 02 लगा 11 की तलबी जरिये Regd AD तलबाना प्रस्तुत होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27.2.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

27.2.25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/4/25 को पेश हो।

8/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 02 लगा 11 की तामील रजि० डाक रसीद पूर्व में पेश की जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 02 लगा० 11 की तलबी जरिये Regd AD कराये एक महिने से अधिक समय हो चुका है। बार-2 आवाज दिलवाई कोई उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी सं. 01 की विधिवत तामील हो चुकी है। अतः अप्रार्थी सं. 02 लगा 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 01 ने प्रा.पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र पर बहस सुनी। बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
34/23	04.07.23	08.04.25

बउनवान

1. छोटी देवी पत्नी रामकरण मीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. गुलीचन्द मीना पुत्र स्व. सुमरत्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. उमराव मीना पुत्र स्व. सुमरत्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. घम्मन मीना पुत्र स्व. सुमरत्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. उर्मिला देवी पत्नी गुलीचन्द, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. लक्ष्मणराम पुत्र स्व. सुमरत्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. सुनिता देवी पत्नी लक्ष्मणराम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. मुकन्दबिहारी लाल पुत्र रामकरण, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. मोहनलाल मीना पुत्र रामकरण, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
10. मुथरी देवी पत्नी प्रभुदयाल मीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
11. हरिकिशन पुत्र रधुवीर, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
12. अशोक मीना पुत्र भम्बूराम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा, राजस्थान।
2. फूलबाई पत्नि विश्राम मीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. मनीष मीना पुत्र विश्राम मीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. सोनू मीना पुत्र विश्राम मीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. भरतलाल पुत्र रामरतन मीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. महेन्द्र कुमार भीना पुत्र रघुवीर भीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. रामकेश मीन। पुत्र रघुवीर मीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. विजेन्द्र कुमार मीना पुत्र रघुवीर मीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. हंसराम मीना पुत्र रघुवीर मीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
10. मानसिंह मीना पुत्र रतनलाल मीना, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
11. बनवारी मीना पुत्र भम्बूराम मीना, निवासी ग्राम ईशरीखेडा तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री शिवदत्त जैमिनी।
2. अप्रार्थी सं. 1 – तहसीलदार मण्डावर।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128

राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता सं. नया 21 पुराना 45 के खसरा सं. 536/782, 607, 638, 643, 644, 646, 676, 677, 694 है। इनमें से खसरा सं. 677 रकबा 0.05 हैक्टे. हिस्से की आराजी पर एवं खाता सं. नया 17 पुराना 38 के खसरा सं. 532, 535, 536, 542, 678, 679 है, इनमें से खसरा सं. 678 रकबा 0.01 गै.मु. बोरिंग स्थित है जो कि वाके ग्राम ईशरीखेडा, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित है। सभी प्रार्थीगण हिस्से की आराजी भूमि पर कब्जा काश्त हो कर अपने उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। उक्त खाता सं. 21 के खसरा सं. 677 रकबा 0.05 हैक्टे. तथा खाता सं. 17 के खसरा सं. 678 रकबा 0.01 हैक्टे. गै.मु. बोरिंग पर सभी संयुक्त खातेदार/प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने के लिए सहमत हैं। उक्त कब्जे काश्त आराजी भूमि के सटवा पूर्व दिशा में ग्राम कटैहडा जिला अलवर की सीमा एवं अन्य की आराजी भूमि स्थित है. दक्षिण दिशा में आराजी खसरा सं. 674 स्थित है, पश्चिम दिशा एवं उत्तर दिशा में ग्रेवल सड़क जो ग्राम ईशरीखेडा से ग्राम कटैहडा की ओर जाती है, स्थित है। प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा सं. 677, 678 की सीमा का निर्धारण करवाने के साथ पत्थरगढ़ी करवा कर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपनी आराजी भूमि को सुरक्षित करना चाहते हैं ताकि वर्णित खसरा सं. को लेकर अन्य किसी गैर खातेदार व अन्य दीगर से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो परन्तु कुछ अन्य दीगर व्यक्ति पत्थरगढी को लेकर विवाद करना चाह रहे हैं। बरसात शुरू हो चुकी है, खेतों में जोत लगने और खेती बुवाई का समय भी हो गया है। अतः निवेदन है कि ग्राम ईसरीखेडा तहसील मण्डावर में स्थित आराजी खसरा सं. 677, 678 की चारों दिशाओं में पत्थरगढी करने हेतु उचित आदेश करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने जवाब दिनांक 28.07.23 प्रस्तुत किया कि खसरा सं. 677 व 678 में मौके पर कच्ची सड़क बनी हुई है। उक्त खसरा सं. की पत्थरगढ़ी करने पर उक्त सड़क को वादीगण द्वारा अवरुद्ध किये जाने की संभावना है। बरसात के कारण चारो तरफ खेतों की बुवाई होना प्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया है। वर्तमान में फसल कटने तक किसी भी प्रकार का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकती। उक्त खसरा सं. का दिनांक 28.09.2022 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के तहत भी इसी प्रकरण से संबंधित दीगर व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है, जिसका प्रकरण संख्या 36/22 विचाराधीन है। प्रार्थी पत्थरगढ़ी की आड़ में, जो वर्तमान में रास्ता चालू है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में है, उक्त रास्ते को बन्द करना चाहता है जिससे भविष्य में शांति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है। पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 22.09.22 की पालना में दिनांक 14.11.22 को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी व पुलिस जाब्ता की मौजूदगी में ग्राम ईशरीखेड़ा के ख. सं. 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 696, व 697 खातेदारी भूमि में से अप्रार्थी द्वारा डाली गयी मिट्टी/ग्रेवल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिका

सड़क को हटवाया गया था एवं वादीगण एवं दूसरे पक्ष को इस बाबत पाबन्द किया गया था कि जिस स्थान से अतिक्रमण हटवाया गया है, वहा पर ना तो खाई खोदी जावे, ना ही तारबंदी की जाये।

अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के उक्त जबाव पर आपत्ति दर्ज करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि जवाब अप्रार्थी के मुताबिक फर्द मौका दिनांक 28.09.22 के खसरा सं. 677 व 678 में मौके पर कच्ची सडक बनी हुई है, परन्तु यह स्पष्ट कथन नहीं किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कब्जे काश्त की भूमि पर कच्ची सड़क अवैध तरीके से दीगर व्यक्तियों द्वारा बनाई गई थी जिस पर उचित कार्यवाही करते हुए पूर्व में ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनाँक 22.09.22 की पालना में दिनांक 14.11.22 को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस जाब्ता की मौजूदगी में ही हटवा दी गई। इस प्रकार प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी को अवैध अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस अवैध अतिक्रमण की पुनः पुनरावृति ना हो, इसके लिए प्रार्थीगण को अपनी कब्जे काश्त की आराजी भूमि पर पत्थरगढी करवा कर संरक्षित करने का कानूनन हक है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में दीगर व्यक्ति द्वारा धारा 251 ए के तहत इसी प्रकरण से संबंधित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का कथन अंकित किया गया है जो कि गलत है। धारा 251 ए के प्रार्थनापत्र का खसरा संख्या 677 व 678 से कोई संबंध ही नहीं है तथा दीगर व्यक्तियों के पास अन्यत्र जगह से सीधा और छोटा रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण केवल मात्र अपने कब्जे काश्त की आराजी भूमि को पत्थरगढ़ी करवाकर सुरक्षित करना चाहते हैं जो इनका कानूनन अधिकार है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से जिस रास्ते को चालू बताया है, उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया परन्तु प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि से दीगर व्यक्तियों का अवैध कब्जा हटवाया जाना प्रमाणित है। अप्रार्थी केवल दीगर व्यक्तियों से मिलीभगत कर प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढ़ी नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए जवाब को सही से पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में स्वयं कथन किया है कि दिनांक 14.11.22 को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी मण्डावर व पुलिस जाब्ता की मौजूदगी में खसरा सं. 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 696 व 697 की खातेदारी भूमि में से दीगर व्यक्तियों द्वारा डाली गई मिट्टी/ग्रेवल सड़क को हटवाया गया। इसका तात्पर्य दीगर व्यक्तियों ने अवैध अतिक्रमण किया था जिसे हटवाया गया। अब पुनः अवैध अतिक्रमण नहीं हो, इसलिए प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की आराजी को सुरक्षित करने के कानूनन अधिकारी हैं। अतः जरिये प्रार्थनापत्र पेश कर, जवाब अप्रार्थी पर आपत्ति दर्ज करते हुए निवेदन है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा सं. 677 व 678 की पत्थरगढी हेतु उचित आदेश करें।

प्रार्थीगण के जबाव आपत्ति पर अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर ने जवाब दिनांक 18.11.24 प्रस्तुत किया कि ग्राम ईसरीखेडा के चालू जमाबंदी संवत् 2071–74 के खसरा सं. 677 रकबा 0.05 हैक्टे. किस्म चाही 1 जाव 1 छोटी देवी पत्नि रामकरण हिस्सा 1/30 जाति मीना सहित कुल 19 सह खातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है एवं खसरा सं. 678 रकबा 0.01 हैक्टे. किस्म गै. मु. बोरिंग छोटी देवी पत्नि रामकरण हिस्सा 1/30 जाति मीना सा. देह सहित कुल 14 सह खातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा सं. 678 रकबा 0.01 हैक्टे. किस्म गै. मु. बोरिंग दर्ज रिकॉर्ड है जबकि उक्त खसरे पर किसी

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

प्रकार की कोई बोरिंग नही है। मौके पर भूमि बोरिंग के काम नहीं आ रही है। मौके पर खसरा नम्बर 677, 678 में होकर जो रास्ता चालू था, जिसे पूर्व मे अप्रार्थीयों द्वारा खर्स डालकर ग्रेवल सडक बना दी गई थी जिसे उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, तहसीलदार मण्डावर, पुलिस उपाधीक्षक महवा एवं थानाधिकारी मण्डावर मय पुलिस जाब्ता की मौजूदगी में दिनांक 14.11.22 को जेसीबी द्वारा हटवा दिया गया। पटवारी हल्का रीदंली एवं भू अभिलेख निरीक्षक हल्दैना से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 677, 678 में होकर लगभग 10 फीट चौडा कच्चा रास्ता बना हुआ है जो वर्तमान मे चालू है जिसमे आवागमन के साधन आ जा रहे है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, खसरा सं. 677 एवं 678 पर आदिनांक तक किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 दिनांक 13.01.25 प्रस्तुत किया गया कि पत्थरगढी के लिये प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में कुछ सह खातेदार सहवन से पक्षकार बनाये जाने से रह गए है, उनको भी पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाये। उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया गया तथा प्रार्थीगण के द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया। शेष रहे पक्षकारों को अप्रार्थी सं. 2 लगायत 11 के रूप में संयोजित किया गया तथा इन पक्षकारों को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 11 नोटिस की तामील के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार आराजी खसरा सं. 677 रकबा 0.05 हैक्टे. एवं खसरा सं. 678 वाके ग्राम ईशरीखेडा, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर के प्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम ईशरीखेडा, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 677 रकबा 0.05 हैक्टे. एवं खसरा सं. 678 रकबा 0.01 हैक्टे. कुल रकबा 0.06 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक हल्दैना को 1500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक हल्दैना मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 08.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)